

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) - जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 5/2024
3. उनवान : सरकार जरिये सुनीत कुमार जैन कृषि अधिकारी(प्रो एवं मू०) एवं उर्वरक निरीक्षक, कार्या० संयुक्त निदेशक कृषि(वि.), जयपुर खण्ड, जयपुर।

बनाम

- अ) मैसर्स जयपुर बायोफर्टिलाइजर्स, हीरावाला इण्डस्ट्रीयल एरिया, कानोता, जयपुर।
- ब) श्री अरविन्द गुप्ता पुत्र श्री मनोहर लाल गुप्ता निवासी जे-71, अशोक चौक, आदर्श नगर, जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 29/08/2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।  
ब) श्री कैलाश दत्त शर्मा अप्रार्थी की ओर से।



**निर्णय**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमान कृषि आयुक्तालय, जयपुर, राजस्थान सरकार के आदेश की अनुपालना में उर्वरक निरीक्षक द्वारा दिनांक 04.12.2019 को मैसर्स जयपुर बायोफर्टिलाइजर्स, हीरावाला इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर के विनिर्माण इकाई परिसर का निरीक्षण किया। मौके पर फर्म के प्रतिनिधि अभियुक्त श्री एम.एल. गुप्ता उपस्थित मिले। निरीक्षण के दौरान जयपुर बायोफर्टिलाइजर्स द्वारा निर्मित नोन एफसीओ/अवैध उर्वरक/जैव/जैविक उर्वरक के विभिन्न ब्रांड भण्डारित किये हुए मिले। जिनमें निम्न फर्टिलाइजर अधिग्रहीत किये गये-

S.No.	फर्टिलाइजर का नाम	मात्रा
1	Neutramin (एक जैविक खाद)	2820 Kg
2	सुपर पोटाश	1750 Kg
3	माइक्रोराइजल बायो फर्टिलाइजर	6280 Kg
4	आर्गेनिक एनपीवी	7750 Kg

निरीक्षण के दौरान जैव उत्पादों/उर्वरकों के संबंध में स्टॉक रजिस्टर, बिल बुक, मासिक रिटर्न एवं प्रधिकार पत्र आदि दस्तावेज में से फर्म मालिक/प्रतिनिधि द्वारा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। निर्माता फर्म द्वारा उत्पादों को उर्वरक के रूप में पैकिंग कर विक्रय हेतु भण्डारित किया गया है, जो कि उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की धारा 19 सी (VI) - (VII) का स्पष्ट उल्लंघन है।

प्रार्थी द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की धारा 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुल तीन उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई तथा इनके नमूने आहरित किये गये।

चूंकि निर्माता फर्म/विपणनकर्ता द्वारा किया गया उक्त कृत्य अवैधानिक है एक उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की धारा 19 सी (VI) - (VII) स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थी ने जब्ती, फर्द जब्ती एवं सुपुर्वगीनामा आदि की प्रतियां संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.03.2022 को निर्णय पारित किया गया जिसमें अंकित किया गया कि "मैसर्स जयपुर बायोफर्टिलाइजर्स हीरावाला इण्डस्ट्रीज कानोता से मौके पर जब्त एवं आहरित नमूने के परीक्षण की रिपोर्ट में उर्वरक को अमानक घोषित किया गया है जो कि अमानक उर्वरक निर्माण, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लोज 19(ए) का स्पष्ट उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत अवैध भण्डारण उपयोग

एवं उपभोग किया जाना पुष्ट होता है।" निर्णयानुसार जब्तशुदा Neutramin 2820 Kg. सुपर पोटेश 1750 Kg. माइकाराइजल बायो फर्टिलाइजर 6280 Kg एवं आर्गेनिक एनपीवी 7750 Kg का नियमानुसार अंतिम निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये गये।

उक्त आदेश की अपील होने पर माननीय न्यायालय अपर सेशन कम-3 जयपुर महानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.10.2023 में अंकित किया गया है कि "आलोच्य आदेश में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर द्वारा केवल प्रकरण में जब्त उर्वरक को राजसात किये जाने के संबंध में आहरित नमूनों के परीक्षण की रिपोर्ट में उर्वरक को अमानक घोषित किये जाने के तथ्य को आधार बनाया है। अपीलार्थीगण जो कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण थे, के द्वारा न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर उर्वरक निरीक्षक द्वारा नमूना लिये जाने की प्रक्रिया सही नहीं होने का मुख्य आधार प्रकट किया गया था जिसके सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर द्वारा किसी प्रकार का विवेचन अंकित नहीं किया है। आलोच्य आदेश में अप्रार्थीगण द्वारा प्रकट की गयी नमूना लेने की प्रक्रिया का उल्लेख तो किया गया है लेकिन उर्वरक निरीक्षक द्वारा इसकी पालना की गयी अथवा नहीं की गयी इस बाबत किसी प्रकार का विवेचन अंकित नहीं किया है। इस संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत मैसर्स सतीश एंड कंपनी बनाम केरल राज्य व अन्य 1983 इएफआर 237 फौजदारी निगरानी सख्या 313 314, 386 एवं 390/1980 निर्णय दिनांक 09:07.1982 में यह न्याय निर्णय पारित किया गया है कि केवल यह अंकित कर दिया जाना कि आदेश का उल्लंघन किया गया है पर्याप्त नहीं है बल्कि पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जिनके आधार पर यह संतुष्टि की गयी है कि आदेश का उलघन किया गया है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत किरण ऑयल इंडस्ट्रीज बनाम जिला हलगर-प्रथम कलेक्टर एआइआर 1997 गुजरात 153 के मामले में भी माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा भी यह न्याय निर्णय पारित किया गया है कि जो बचाव याची द्वारा प्रकट किया गया, उसके संबंध में कोई विवेचन अंकित नहीं किया गया ता ऐसी स्थिति में राजसात किये जाने के आदेश को सही नहीं ठहराया जा सकता। अपील याचिका स्वीकार की जाकर राजसात किये गये आदेश को अपास्त किया गया। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर द्वारा अपने आदेश में अपीलार्थीगण द्वारा उक्त न्यायालय प्रस्तुत जवाब में जो आधार प्रस्तुत किया गया है उन पर किसी प्रकार का विवेचन अपने आदेश में अंकित नहीं किया गया है। अतः पारित आलोच्य आदेश प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में संवहनीय नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 03.03.2022 को अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली पुनः विचारण न्यायालय को इस संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में विवेचन अंकित कर पुनः सुनवायी हेतु पत्रावली प्रति प्रेषित की जाती है।"

पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर की गई। प्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री के.डी. शर्मा उपस्थित हुए।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 अरविन्द गुप्ता, मैसर्स जयपुर बायो फर्टिलाइजर्स के नाम से विभिन्न किस्मों के उर्वरकों का कारोबार एवं उनका उत्पादन करता आ रहा है, जिसके लिये अप्रार्थी ने अधिसूचित प्राधिकारी संयुक्त निदेशक कृषि (आदान), कृषि आयुक्तालय, राजस्थान सरकार से प्रमाण पत्र संख्या 634 दिनांक 31.07.2000 प्राप्त कर रखा है, जो दिनांक 26.03.2026 तक नवीनीकृत है। दौराने निरीक्षण उर्वरक निरीक्षक द्वारा जब्तशुदा नमूने को वारंते परीक्षण दिनांक 6.12.2019 को राजकीय उर्वरक गुण नियन्त्रण प्रयोगशाला दुर्गापुरा में आदेश 1985 के खण्ड 30 (1) के प्रावधानों के तहत भेजा गया। दिनांक 3.01.2020 को राजकीय उर्वरक गुण नियन्त्रण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा से उक्त नमूना कोड संख्या एसकेएफ/03/19 को अमानक पाया। दिनांक 16.1.2020 को उर्वरक निरीक्षक ने उक्त आदेश के अन्तर्गत अप्रार्थी को रिपोर्ट भेजी, जिसमें यदि उपरोक्त विश्लेषण रिपोर्ट से असहमत हैं और नमूने का पुनः परीक्षण करवाना चाहते हैं तो परिणाम प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर अप्रार्थी ऑथोरिटी एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को रैफरी नमूना पुनः विश्लेषण हेतु अपील कर सकते हैं। दिनांक 20.1.2020 को अप्रार्थीगण ने जरिये रजिस्टर्ड पत्र जवाब भेजा, जिसमें राजकीय जैव उर्वरक गुण नियन्त्रण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा जयपुर की रिपोर्ट से असन्तुष्ट होने का अंकन कर नमूने को पुनः परीक्षण हेतु रैफरी लैब में भिजवाने



**अतिरिक्त कलेक्टर**  
**(तृतीय) जयपुर**

का निवेदन किया गया। उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ तथा दिनांक 30.11.2021 को अप्रार्थीगण ने सभी दस्तावेज आदि की प्रतियाँ प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजों की प्रतियाँ अप्रार्थीगण को नहीं दी। उक्त सम्बन्ध में अप्रार्थीगण ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय 1986 क्रिमीनल लॉ जर्नल 467 भी प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण द्वारा अभिपक्ष के समर्थन में दस्तावेजात प्रस्तुत किए। दिनांक 03.03.2022 को न्यायालय ने अधिग्रहित उर्वरक को राजसात करने का निर्णय पारित किया। जिसकी अपील दायर करने पर माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 3 जयपुर महानगर प्रथम द्वारा निर्णय दिनांक 21.10.2023 पारित कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। आदेश 1985 के खण्ड 28 (1) (ख) और 29 के अन्तर्गत अनुसूची 2 के भाग (क) में उर्वरकों के नमूनों की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, परन्तु उर्वरक निरीक्षक ने नमूना लेने की प्रक्रिया की अनुपालना नहीं की। मौका पर्चा में मात्र यह लिखा है कि 'उर्वरकों के नमूने उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के खण्ड 28 (1) (बी) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नमूने लिये गये। उपरोक्त सम्बन्ध में निम्न न्यायिक दृष्टान्त उल्लेखनीय है

- 1-1986 क्रिमीनल लॉ रिपोर्टर (राज०) 612
- 2-2013 (1) आर ए एफ (राज०) 77
- 3-2004 (1) क्रिमीनल केसेज 475
- 4-1990 (1) ई एफ आर. 219

भारत सरकार के आदेश दिनांक 15-11-2019 के पैरा संख्या द्वितीय व तृतीय में सेम्पलों की जांच, आदेश 1985 के तहत किये जाने के प्रावधान हैं। अप्रार्थीगण ने दिनांक 13-1-2020 को एलवाईएफ-09 नमूना के पुनः परीक्षण हेतु अपीलय आयुक्त कृषि को की। उपरोक्त सम्बन्ध में निम्न न्यायिक विनिश्चय उल्लेखनीय है -

- 1- साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (च)
- एआईआर 1991 दिल्ली 50
- एआईआर 1994 (एपी) 102 पैरा सी

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न मामले में निर्णित किया है कि यदि परिवादी एवं अधिकारियों द्वारा दूसरे व तीसरे नमूने का परीक्षण नहीं करवाया जाता है तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) एवं 21 का उल्लंघन होगा।

- 1- 2000 (1) ए एल.डी (क्रिमीनल) 268 डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज गुन्दूर बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश
- 2- ए.आई आर. 1994 इलाहाबाद 164, मैसर्स जनता एग्रो फर्टिलाइजर्स मेरठ बनाम स्टेट ऑफ यूपी।

अप्रार्थीगण द्वारा बार बार पत्र लिखने व नमूने का पुनः परीक्षण नहीं कराया गया। उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के प्रावधानों के तहत उर्वरक के तीन नमूने लिये जाने का प्रावधान है तथा पहले नमूने का परिणाम सन्तोषजनक नहीं आता है तो दूसरे व तीसरे नमूने को पुनः परीक्षण का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार का आदेश दिनांक 15.11.2019 स्पष्ट है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न मामलों में निर्णय निर्णित किया है कि यदि परिवादी एवं अधिकारियों द्वारा दूसरे व तीसरे नमूने का परीक्षण नहीं करवाया जाता है तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 (1) (जी) एवं 21 का उल्लंघन होगा।

- 1- 2000 (1) ए एल डी (क्रिमीनल) 268 (डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज गुन्दूर बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश)

"A Division bench of this Court in Ushanna Goud vs Commission of Excise, 1993 ALT Supp (1) 209, held that the accused is entitled to get the sample tested through an independent agency and not providing the same will be violative on Articles 14 and 21 of Indian Constitution."

उशानान गौड एव अन्य बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश

चूंकि अप्रार्थीगण के उनके उत्पाद से उर्वरक के लिये गये नमूने का पुनः परीक्षण नहीं कराया गया, इसलिये उप-निदेशक कृषि (पौध व्याधि) एवं उर्वरक गुण नियन्त्रण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 03.01.2020 अप्रार्थीगण के विरुद्ध नहीं पढ़ी जा सकती।

अन्त में निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र धारा 6-क आवश्यक वस्तु अधिनियम निरस्त फरमाया जावे तथा प्रकरण में कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जाकर अभिगृहीत उर्वरक या उससे विक्रित राशि अप्रार्थीगण को वापस दिलाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से श्री सुनीत कुमार जैन उपस्थित हुए। बहस के दौरान कथन किया है कि FERTILISER (INORGANIC, ORGANIC OR MIXED)(CONTROL) ORDER, 1985 के SCHEDULE II PART A (e)(i) में अंकित है कि "The sample shall be kept in suitable, clean dry and air tight glass or screwed hard polythene bottle of about 400 gm capacity or in a thick gauged polythene bag and this shall be put in a cloth bag which shall be sealed with the Inspector's seal." के अनुसार प्लास्टिक बैग में लिये गये उर्वरक के नमूने प्रक्रिया का पालन करते हुए लिये गये थे। जिसका उल्लेख प्रार्थना पत्र के बिन्दू सं० 5 व 6 में किया गया है। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित अन्य बिन्दुओं को दोहराते हुए जब्तशुदा उर्वरक को राजसात किये जाने का निवेदन किया है।

हमने प्रार्थना पत्र एवं उनके साथ पेश दस्तावेज, जवाब अप्रार्थी लिखित बहस एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरों, उभयपक्ष की बहस का अध्ययन व मनन किया। सम्मानपूर्वक अपीलीय न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया। नतीजन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि FERTILISER (INORGANIC, ORGANIC OR MIXED)(CONTROL) ORDER, 1985 के SCHEDULE II PART A (e)(i) में अंकित है कि "The sample shall be kept in suitable, clean dry and air tight glass or screwed hard polythene bottle of about 400 gm capacity or in a thick gauged polythene bag and this shall be put in a cloth bag which shall be sealed with the Inspector's seal." के अनुसार स्पष्ट है कि प्लास्टिक बैग में लिये गये उर्वरक के नमूने प्रक्रिया का पालना करते हुए लिये गये थे। पुनः परीक्षण के लिए भेजे गये रजि. पत्र का कार्यालय में प्राप्त होने से संबंधित कोई रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में पुनः जांच करवाने हेतु अप्रार्थी को व्यक्तिगत प्रयास करने चाहिए थे जबकि अप्रार्थी द्वारा मात्र एक रजि. पत्र भिजवाकर इतिश्री कर ली गयी। प्रकरण में नमूने निर्धारित प्रक्रिया के तहत नहीं लिये गये तथा नमूने की दोबारा जांच करवाने बावत प्रार्थना पत्र सक्षम कार्यालय में प्रस्तुत करने से संबंधित दोनों ही बातों को साबित करने में अप्रार्थी असफल रहा है। लिहाजा स्टेट फर्टिलाइजर क्वालिटी कन्ट्रोल लेबोरेटरी दुर्गापुरा, जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 03.01.2020 में फर्टिलाइजर के नमूना रिपोर्ट में अंकित "The sample is not according to specification and fails in total viable propagules" से स्पष्ट है कि नमूना अमानक होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6-ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अतः जब्तशुदा उर्वरक को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। सहायक निदेशक कृषि (वि.), सांगानेर, जयपुर को आदेशित किया जाता है कि वह राजसात किये गये Neutramin मात्रा 2820 Kg, सुपर पोटाश मात्रा 1750 Kg, माइकोराइजल बायो फर्टिलाइजर मात्रा 6280 Kg एवं आर्गेनिक एनपीवी मात्रा 7750 Kg का नियमानुसार अंतिम निस्तारण करें। तदानुसार तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/08/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफतर हो।



(राजकुमार करवा)  
अति. जिला कलक्टर एवं  
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर